भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2841
दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत अधिनियम, 2003

2841. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत वर्ष 2006 में जारी किए गए "लाइसेंसधारियों के कार्य नियम" इस अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त और तार अधिनियम, 1885 के उपबंधों के अंतर्गत परिचालनरत पारेषण कंपनियों पर लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 2003 में अधिनियम के पारित होने के बाद से किसी पारेषण कंपनी ने इन नियमों को अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत, यथोचित सरकार लाइसेंसधारियों, विद्युत आपूर्तिकर्ताओं या सार्वजनिक अधिकारियों को विद्युत लाइनें बिछाने के लिए टेलीग्राफ प्राधिकारी शक्तियां प्रदान कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के अंतर्गत, पारेषण और वितरण लाइसेंसधारी विद्युत आपूर्ति लाइनें बिछा सकते हैं या रख सकते हैं और आवश्यक कार्य कर सकते हैं जिसमें मौजूदा अवसंरचना को तोड़ना या बदलना शामिल हो सकता है। अधिनियम की धारा 67(2) के अंतर्गत जारी लाइसेंसधारियों के कार्य नियम, 2006 में अन्य बातों के साथ-साथ अनुमति प्राप्त करने, मुआवजा निर्धारित करने और भुगतान करने तथा प्रभावित संपत्ति को बहाल करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। तथापि, इन नियमों के अंतर्गत प्रावधान अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत किसी लाइसेंसधारी को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

****